DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

16 February, 2024

2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा को तीन गुना करने के लिए वार्षिक 2 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य

संदर्भ: *क्लाइमेट एनालिटिक्स की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, COP28 में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2024 से 2030 तक औसतन 2 ट्रिलियन डॉलर के वार्षिक निवेश की आवश्यकता होगी।*

अध्ययन/रिपोर्ट के निष्कर्ष:

➢ **COP28 लक्ष्य और वैश्विक स्टॉकटेक:**

- 124 देश वर्ष 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने और ऊर्जा दक्षता में सुधार को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- इन लक्ष्यों को COP28 के दौरान जारी ग्लोबल स्टॉकटेक (GST) रिपोर्ट में भी उजागर किया गया था।

➢ **निवेश आवश्यकताएँ:**

- क्लाइमेट एनालिटिक्स की एक रिपोर्ट अक्षय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने सहित कुल 12 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2024 से 2030 तक वार्षिक निवेश में 2 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता को इंगित करती है।
- इस संदर्भ में नवीकरणीय ऊर्जा स्थापना के लिए $8 ट्रिलियन आवंटित किए जाएंगे, जबकि ग्रिड और भंडारण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए $4 ट्रिलियन आवंटित किए जाएंगे।

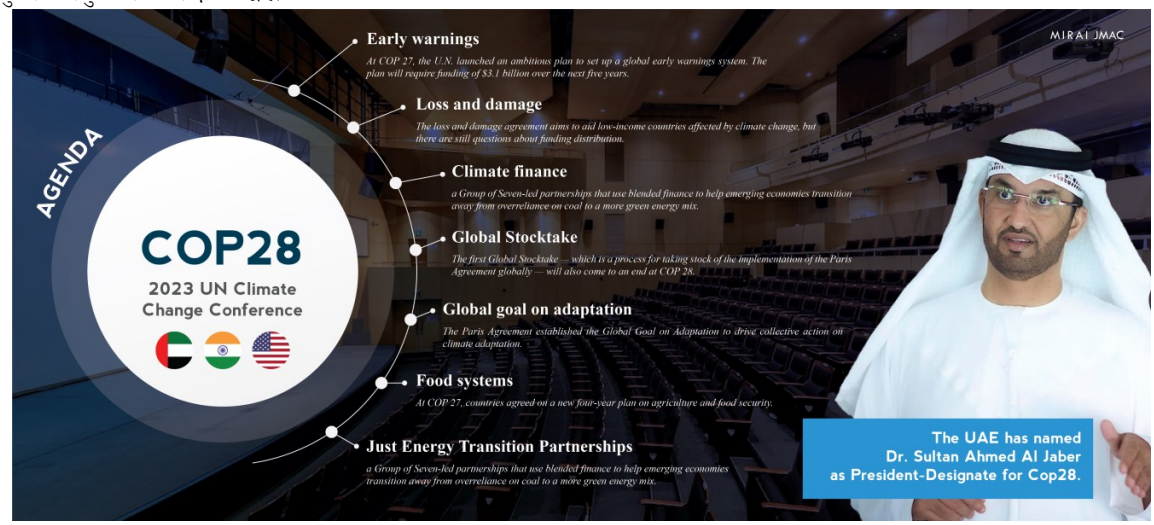

➢ **नवीकरणीय क्षमता लक्ष्य:**

- विभिन्न वैश्विक प्रयास वर्ष 2030 तक कम से कम 11 टेरावाट (टीडब्ल्यू) नवीकरणीय क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं।
- इस हेतु वर्ष 2022 में दर्ज की गई 3.4-3.6 TW क्षमता एक महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है और अब इसके लिए 2030 तक अतिरिक्त 8.1 TW की आवश्यकता होगी।

➢ **वर्तमान निवेश और सिफ़ारिशें:**

- नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रिड विस्तार में निवेश 2023 में कुल मिलाकर केवल 1 ट्रिलियन डॉलर का कम हो गया।
- निवेश अंतर को समाप्त करने के लिए सार्वजनिक वित्त में वृद्धि और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर जीवाश्म ईंधन के वित्तपोषण को पुनर्निर्देशित करने की आवश्यकता है।

➢ **क्षेत्रीय चिंताएँ:**

- उप-सहारा अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों को नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बढ़े हुए निवेश और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की आवश्यकता है।
- उप-सहारा अफ्रीका को 2022 के स्तर की तुलना में 2030 तक नवीकरणीय क्षमता में 6.6 गुना वृद्धि की आवश्यकता है।

➢ **उत्सर्जन में कमी और भविष्य के लक्ष्य:**

- वर्ष 2030 तक नवीकरणीय क्षमता को तीन गुना करने और ऊर्जा दक्षता को दोगुना करने से महत्वपूर्ण उत्सर्जन में कमी आने की उम्मीद है, 1.5 डिग्री सेल्सियस मार्ग के साथ संरेखित करने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक हैं।
- नवीकरणीय क्षमता को 2035 तक लगभग 17.5 TW तक पहुंचने की आवश्यकता है, जो 2022 के स्तर से पांच गुना वृद्धि है।

➢ **जलवायु वित्त चर्चाएँ और लक्ष्य:**

- जलवायु वित्त पर नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (NCQG) के आसपास की चर्चाओं में सीमित प्रगति देखी गई है।
- नवीकरणीय ऊर्जा उद्देश्यों को पूरा करने और जलवायु वित्त की कमी को दूर करने के लिए, विशेष रूप से कम अमीर देशों में निवेश जुटाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

➢ **जीवाश्म चरण और संक्रमण:**

- इस रिपोर्ट में 2030 तक उत्पादन और उपयोग में लगभग 40% की गिरावट की आवश्यकता के साथ, जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की अनिवार्यता पर जोर दिया गया है।
- अंतिम जीएसटी प्रारूपण वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

➢ **नागरिक समाज की मांगें:**

- COP 28 में नागरिक समाज समूहों ने वर्ष 2030 तक जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की सिफारिश की, जिसमें संक्रमण का नेतृत्व करने वाले अमीर देशों पर जोर दिया गया।
- यह जलवायु परिवर्तन से निपटने और सभी के लिए एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक कार्रवाई की तात्कालिकता को रेखांकित करता है।

औषधि विकास में आंकड़ों की विशिष्टता

संदर्भ: *भारत ने मुक्त व्यापार समझौते के संबंध में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के साथ चल रही चर्चा के दौरान 'डेटा विशिष्टता' के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है।*

➢ **डेटा विशिष्टता आवश्यक क्यों ?**

- इस समझौते में दवाओं के क्लिनिकल परीक्षण डेटा पर न्यूनतम छह साल का प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है।

- साथ ही समान उत्पाद बनाने के इच्छुक निर्माताओं को अपना स्वयं का डेटा तैयार करना होगा या प्रतिबंध अवधि की प्रतीक्षा करनी होगी।
- यह धारा भारत में पेटेंट नहीं कराई गई दवाओं को प्रभावित कर सकती है और जेनेरिक दवा उद्योग के लिए चुनौतियां उत्पन्न कर सकती है।

➢ **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:**

- वर्ष 2008 से, यूरोपीय संघ और ईएफटीए ने लगातार भारत के साथ व्यापार वार्ता में डेटा विशिष्टता की मांग की है।
- विभिन्न अस्वीकृतियों के बावजूद, व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (TEPA) के एक मसौदे में इस खंड को शामिल करने का सुझाव दिया गया है।
- भारत की प्रतिक्रिया:
- भारत ने अपने जेनेरिक दवा उद्योग के लिए समर्थन पर जोर देते हुए मांग को खारिज कर दिया।
- जेनेरिक दवा उद्योग के हितों की रक्षा करना भारत के लिए प्राथमिकता है, क्योंकि यह निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

➢ **समस्याएं और विरोध:**

- नई दवा की उपलब्धता पर संभावित प्रभाव ने चिकित्सा अधिकार समूहों के विरोध को प्रेरित किया है।
- मेडिसिन्स सैन्स फ्रंटियर्स (MSF) ने भारत से उन सभी हानिकारक बौद्धिक संपदा प्रावधानों को अस्वीकार करने का आग्रह किया जो सस्ती जेनेरिक दवाओं तक पहुंच को सीमित कर सकते हैं।

➢ **MSF का बयान:**

- एमएसएफ ने ईएफटीए के साथ व्यापार वार्ता में डेटा विशिष्टता के खिलाफ भारतीय वाणिज्य मंत्रालय के रुख को स्वीकार किया है।
- उन्होंने वैश्विक स्तर पर लाखों लोगों के लिए सस्ती जेनेरिक दवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के महत्व को भी उजागर किया है।

➢ **MSF पर प्रभाव:**

- एमएसएफ ने भारत के राष्ट्रीय पेटेंट और दवा नियामक कानूनों में बदलाव के संभावित प्रभाव का उल्लेख किया है।
- वे विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों के इलाज के लिए भारत में बने गुणवत्ता-सुनिश्चित टीकों और दवाओं पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं।

➢ **डेटा विशिष्टता क्या है?**

- डेटा विशिष्टता; प्रवर्तक दवा कंपनियों से नैदानिक परीक्षण डेटा को एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर जेनेरिक संस्करणों के लिए विनियामक अनुमोदन को रोकती है।
- यह सामान्य प्रतिस्पर्धा में विलंब करके प्रवर्तक कंपनियों को महंगे नैदानिक परीक्षणों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य करता है।
- यह सुनिश्चित करती है कि नैदानिक परीक्षणों के संचालन के लिए समर्पित संसाधनों और निवेशों को शोषण से बचाया जाए।
- क्लिनिकल परीक्षण एक व्यापक प्रक्रिया हैं जिनमें नए उत्पादों की प्रभावकारिता, गुणवत्ता और सुरक्षा का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण व्यय और समय शामिल होता है।
- नियामक अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण डेटा की सावधानीपूर्वक समीक्षा करते हैं, कि केवल सुरक्षित और प्रभावी दवाएं ही बाजार तक पहुंच सकें।
- प्रवर्तक कंपनियां अपने निवेश को सुरक्षित रखने और जेनेरिक दवा निर्माताओं को परीक्षण डेटा का शोषण करने से रोकने के लिए डेटा विशिष्टता की सिफारिश करती हैं।
- वैश्विक स्तर पर, डेटा विशिष्टता एक विवादास्पद मुद्दा है, जो विकासशील और विकसित देशों के साथ-साथ बहुराष्ट्रीय और घरेलू दवा कंपनियों के बीच संघर्ष को जन्म दे रहा है।
- अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने भारत पर डेटा विशिष्टता मानदंडों को अपनाने के लिए दबाव डाला है, लेकिन भारत, अपने बड़े जेनेरिक दवा बाजार के साथ, इसे सस्ती दवा पहुंच में बाधा के रूप में मानता है।

चुनावी बांड योजना को समाप्त करना

संदर्भ: *राजनीतिक दलों के फंडिंग स्रोतों के बारे में मतदाताओं की जानकारी तक पहुंच के महत्व पर जोर देते हुए, उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बांड योजना (EBS) को अमान्य कर दिया।*

➢ **चुनावी बांड योजना (ईबीएस) का परिचय:**

- वर्ष 2018 में केंद्र द्वारा पेश किये गए, ईबीएस ने व्यक्तियों और निगमों को गुमनाम रूप से राजनीतिक दलों को वित्त पोषित करने की अनुमति दी।
- इसमें भारतीय स्टेट बैंक से चुनावी बांड खरीदना, दानदाताओं को गुमनाम रखना जैसी प्रक्रियाएं शामिल थीं।

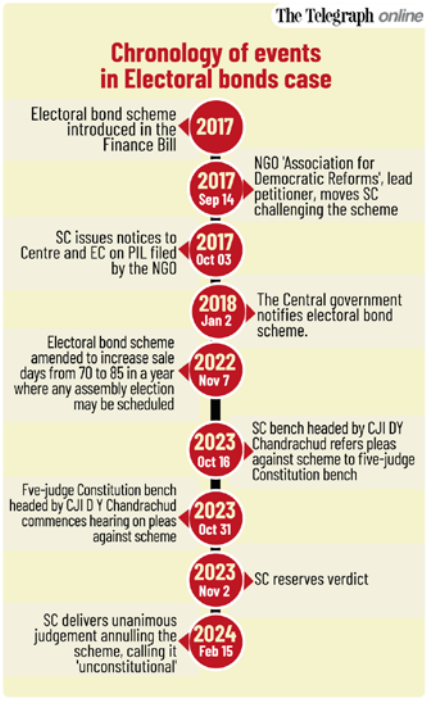

➢ **ईबीएस और संशोधनों पर न्यायालय का निर्णय:**

- सुप्रीम कोर्ट ने प्रमुख चुनावी वित्त कानूनों में संशोधन के साथ-साथ चुनावी बांड योजना (ईबीएस) को रद्द कर दिया।
- ईबीएस परिचय की प्रत्याशा में किए गए संशोधनों को अदालत द्वारा अमान्य कर दिया गया।

➢ **मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन:**

- याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ईबीएस ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(A) के तहत मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन किया है।
- याचिकाकर्ताओं द्वारा राजनीतिक दलों के फंडिंग स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के मतदाताओं के अधिकार का भी उल्लेख किया गया।

➢ **काले धन और दाता गोपनीयता संबंधी मुद्दे:**

- सरकार ने तर्क दिया कि ईबीएस चुनावी बांड के साथ नकद दान की जगह काले धन के प्रचलन को कम करता है।
- याचिकाकर्ताओं ने इसके विरोध में तर्क दिया कि बांड का इस्तेमाल पार्टियों को नकद दान की सुविधा के लिए किया जा सकता है।

➢ **दाता गोपनीयता पर न्यायालय का निर्णय:**

- अदालत ने स्वीकार किया कि राजनीतिक संबद्धता की गोपनीयता का अधिकार केवल वास्तविक सार्वजनिक समर्थन तक ही सीमित है, नीतियों को प्रभावित करने वाले योगदान तक नहीं।
- इसने दाता गोपनीयता के स्थान पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में सार्वजनिक हित पर जोर दिया।

➢ **असीमित कॉर्पोरेट योगदान की असंवैधानिकता:**

- अधिवक्ताओं ने कंपनियों द्वारा असीमित योगदान, शेयरधारकों के जानने के अधिकार का उल्लंघन आदि जैसी समस्याओं का उल्लेख किया।
- साथ ही कंपनी के योगदान पर लगी सीमा को हटाना असंवैधानिक माना गया, क्योंकि इससे राजनीति में अनियंत्रित कॉर्पोरेट प्रभाव बढ़ सकता था।

➢ **निगमीय योगदान पर न्यायालय का फैसला:**

- अदालत ने निगमों द्वारा पड़ने वाले प्रभाव की संभावना को ध्यान में रखते हुए कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा किए गए योगदान के बीच के अंतर की व्याख्या की।
- इसने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कंपनियों से राजनीतिक योगदान की सीमा को चिन्हित कर दिया।

➢ **वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा किए गए संशोधन:**

- वित्त अधिनियम, 2017 ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, आयकर अधिनियम और कंपनी अधिनियम सहित प्रमुख क़ानूनों में संशोधन किया है।
- इसने चुनावी बांड को फंडिंग प्रतिबंधों को नजरअंदाज करने, कंपनियों के लिए दान सीमा हटाने और दान घोषित करने की आवश्यकता को समाप्त करने की अनुमति दी।
- उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसले ने मूल प्रावधानों को फिर से लागू कर दिया, निर्धारित सीमा से ऊपर दान का उल्लेख करना और कॉर्पोरेट योगदान पर सीमा निर्धारित करना अनिवार्य कर दिया गया।
- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत, राजनीतिक दलों को 20,000 रुपये से अधिक के दान की रिपोर्ट करनी होगी, जिसे वित्त अधिनियम, 2017 ने चुनावी बांड के माध्यम से दान के लिए अमान्य कर दिया था।
- कंपनी अधिनियम ने पहले कॉर्पोरेट दान को औसत शुद्ध लाभ का 7.5% तक सीमित कर दिया था और प्रकटीकरण की आवश्यकता थी, लेकिन इन्हें वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा संशोधित किया गया था।
- उच्चतम न्यायालय ने चुनावी वित्तपोषण में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के प्रावधानों को बहाल करते हुए असीमित निगमीय योगदान को असंवैधानिक करार दिया।
- राजनीतिक दलों को चुनावी बांड के माध्यम से दान के रिकॉर्ड बनाए रखने से छूट देने वाले आयकर अधिनियम में संशोधन को अदालत ने अमान्य कर दिया था।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO)

हाल ही में, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने क्रोनिक किडनी रोग (CKD) से ग्रस्त वयस्कों में गिरावट, हृदय संबंधी मृत्यु और अस्पताल में भर्ती होने के जोखिम को कम करने के लिए Jardiance 10mg गोलियों को मंजूरी दी है।

केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के बारे में:

- केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन 1940 के औषध और प्रसाधन अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए जिम्मेदार केंद्रीय औषध प्राधिकरण है।
- यह भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
- यह भारत में दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के लिए राष्ट्रीय विनियामक प्राधिकरण (NRA) के रूप में कार्य करता है।
- यह भारत में दवाओं के विपणन के लिए अनुमोदन देने के लिए जिम्मेदार है।
- यह देश में दवा उत्पादों और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा, प्रभावशीलता और गुणवत्ता सुनिश्चित करता है।
- CDSCO के प्रमुख औषध नियंत्रक (Drugs Controller General of India) हैं, जो रक्त उत्पादों, इन्ट्रावेनस द्रवों, टीकों और सीरम जैसी विशिष्ट श्रेणियों की दवाओं के लिए लाइसेंस को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार हैं।

पुरुलिया छऊ

हाल ही में, केरल के कोझिकोड के एक कॉलेज में तारापद रजक और टीम द्वारा पुरुलिया छऊ नृत्य प्रस्तुत किया गया है।

पुरुलिया छाऊ के बारे में:

- पुरुलिया छाऊ पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले का एक अर्ध-शास्त्रीय भारतीय लोक नृत्य है।
- यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर नृत्य है जो मार्शल आर्ट और लोक परंपराओं को जोड़ता है।
- कई विद्वानों का मानना है कि छाऊ नाम "छौनी" से आया है, जिसका अर्थ है "सैन्य शिविर"।
- छाऊ प्रदर्शन में कलाबाजी, मार्शल चालें और धार्मिक नृत्य शामिल हैं।
- नृत्य दर्शकों को कहानियाँ बताने का एक तरीका है, इसलिए इसमें युद्ध और युद्ध से जुड़े विस्तृत मुखौटे और टोपी शामिल हैं।
- इसकी तीन अलग-अलग शैलियाँ हैं, जिनका नाम उस क्षेत्र के नाम पर रखा गया है जहाँ उनका प्रदर्शन किया जाता है: पुरुलिया (पश्चिम बंगाल), सरायकेला (झारखंड) और मयूरभंज (ओडिशा)।

श्री वेंकटेश्वर प्राणी उद्यान

हाल ही में श्री वेंकटेश्वर प्राणी उद्यान (एसवीजेडपी) में शेरों के बाड़े में कूदने पर एक व्यक्ति को शेरों ने मार डाला।

श्री वेंकटेश्वर प्राणी उद्यान के बारे में:

- श्री वेंकटेश्वर प्राणी उद्यान आंध्र प्रदेश के तिरूपति में स्थित है।
- यह एशिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है और सैकड़ों जानवरों के साथ 1,200 एकड़ में फैला हुआ है।
- इस पार्क की स्थापना 29 सितंबर 1987 को हुई थी।
- इस पार्क में दुनिया भर के बहुत से जानवर मौजूद हैं।
- इसमें मोरों के लिए एक घर है जिसे मयूरवानी कहा जाता है।
- वर्तमान में, चिड़ियाघर में स्तनधारियों की 31 प्रजातियाँ, पक्षियों की 46 प्रजातियाँ और सरीसृपों की 7 प्रजातियाँ हैं जो इस क्षेत्र में जैव विविधता संरक्षण प्रयासों में योगदान दे रही हैं।

INSAT-3DS उपग्रह मिशन

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने हाल ही में GSLV-F14 रॉकेट के माध्यम से INSAT-3DS उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है। यह लॉन्च 17 फरवरी 2024 को शाम 5:35 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा।

INSAT-3DS उपग्रह मिशन के बारे में:

- INSAT-3DS मौसम संबंधी अवलोकन, आपदा चेतावनी क्षमताओं और अन्य संबंधित सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाया गया एक समर्पित उपग्रह मिशन है।
- इसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी की सतह की निगरानी करना, समुद्री अवलोकन करना, विभिन्न मौसम संबंधी मापदंडों की ऊर्ध्वाधर प्रोफाइल प्रदान करना और उपग्रह-समर्थित खोज और बचाव सेवाएं देना है।
- GSLV-F14 जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च वाहन (GSLV) की 16वीं उड़ान और स्वदेशी क्रायो स्टेज वाली 10वीं उड़ान का है।
- यह लॉन्च स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण के साथ GSLV का उपयोग करने वाली 7वीं परिचालन उड़ान है।
- GSLV-F14 INSAT-3DS उपग्रह को एक जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर कक्षा में स्थापित करेगा।

सुर्खियों में स्थल

कतर

हाल ही में भारत के प्रधान मंत्री ने कतर के शासक शेख तमीम बिन हमद अल-थानी को भारत आने के लिए आमंत्रित किया है और 8 भारतीय पूर्व नौसेना कर्मियों की रिहाई के लिए उन्हें धन्यवाद दिया है।

कतर: (राजधानी:दोहा)

अवस्थिति : कतर पश्चिम एशिया में अरब प्रायद्वीप के उत्तरपूर्वी तट पर स्थित है।
भौगोलिक सीमाएँ: कतर दक्षिण में सऊदी अरब के साथ अपनी सीमा साझा करता है और अन्य सभी तरफ फारस की खाड़ी से घिरा हुआ है।
भौतिक विशेषताऐं:

- कतर का सबसे ऊँचा स्थान, कुरैन अबू अल बाउल, जेबेल दुखन रेंज का हिस्सा है।
- दक्षिण-पूर्व में, खोर अल अदैद है, जिसे "अंतर्देशीय सागर" के रूप में जाना जाता है, जिसमें फारस की खाड़ी के प्रवेश द्वार के आसपास रेत के टीले हैं।
- कतर के पश्चिमी भाग में, जेबेल दुखन श्रेणी में कम चूना पत्थर के अवशेष शामिल हैं।
- जेबेल दुखन क्षेत्र में कतर के मुख्य तटवर्ती तेल भंडार हैं।

POINTS TO PONDER

- मछली उत्पादन के मामले में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है? **- तीसरा**
- ईट राइट इंडिया पहल के तहत हाल ही में कितने अस्पतालों को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा 'ईट राइट कैंपस' के रूप में प्रमाणित किया गया है? **- 500 से अधिक अस्पताल**
- हाल ही में, किस मंत्रालय ने पुनर्गठित पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) योजना शुरू की है? **- मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय**
- 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के नियम किस समिति द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों को दर्शाते हैं? **- फिल्म पुरस्कारों के युक्तिकरण के लिए समिति**
- हाल ही में पुरातत्वविदों द्वारा आठवीं शताब्दी की कोटरावई मूर्तिकला कहाँ खोजी गई थी? **- उलुंदुरपेट के पास, तमिलनाडु**